



2026:AHC:179726

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 16585/2026

श्याम किशोर त्रिपाठी और एक अन्य

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मनोज कुमार श्रीवास्तव, संजय सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-प्रथम

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान आवेदन में आवेदक की प्रार्थना नीचे उद्धृत की जाती है:
“अतः अत्यंत सादर प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन स्वीकार करने तथा दिनांक 21.11.2025 के आदेश को, तथा परिवाद संख्या 95717/2022 (श्याम किशोर त्रिपाठी बनाम यजदत्त अवस्थी तथा अन्य), भा.द.सं. की धारा 498 ए, 323 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत (थाना-महिला थाना, जिला-गाजियाबाद), जो अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)/एफ.टी.सी.-प्रथम, गाजियाबाद के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को, पक्षकारों के मध्य दिनांक 06.09.2025 के समझौते के अनुसरण में खारिज करने की कृपा करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय परिवाद संख्या 95717/2022 (श्याम किशोर त्रिपाठी बनाम यज़दत अवस्थी तथा अन्य), भा.द.सं. की धारा 498 ए, 323 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत (थाना-महिला थाना, जिला-गाजियाबाद), जो अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)/एफ.टी.सी.-प्रथम, गाजियाबाद के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को भी, पक्षकारों के मध्य दिनांक 06.09.2025 के समझौते के अनुसरण में, स्थगित रखने की कृपा करे तथा/अथवा ऐसा अन्य और अग्रोतर आदेश या निदेश पारित करे जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित एवं समुचित समझे।”

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 23.04.2026 के आदेश की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय को पक्षकारों तथा समझौता विलेख का सत्यापन करने हेतु निदेशित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपनी दिनांक 15.05.2026 की सत्यापन आख्या प्रेषित की है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 से 4 ने मामले का समझौता कर लिया है तथा वे आवेदकगण के विरुद्ध मामले की पैरवी करना नहीं चाहते हैं। अतः, समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को जारी रहने की अनुमति दी जाती है तो कोई फलदायी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दोनों पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का परिनिर्धारण कर लिया है, अतः आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है तथा यदि उक्त वाद की कार्यवाहियां खारिज की जाती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. दिनांक 15.05.2026 की सत्यापन आख्या के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि वर्तमान आवेदन के पक्षकार संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए तथा उनकी पहचान एवं हस्ताक्षरों का उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सत्यापन किया गया है। दोनों पक्षकारों ने यह स्वीकार किया है कि वे समझौते पर पहुंच गए हैं तथा वे उस समझौते के समस्त खंडों एवं शर्तों से संतुष्ट तथा सहमत हैं।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरिंदर सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, परबतभाई आहीर उर्फ परबतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641, मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एससीसी 688 के वाद में, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतः यह अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों के मध्य कुछ संज्ञेय तथा अशमनीय अपराधों के संबंध में भी समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शफीउल्लाह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य, [2013 (83) ए.सी.सी. 278] में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वादों में प्रतिपादित विधि को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

8. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि उक्त वाद की कार्यवाहियों को लंबा खींचने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

9. तदनुसार, आवेदकगण के विरुद्ध पारित दिनांक 21.11.2025 का आदेश तथा परिवाद संख्या 95717/2022 (श्याम किशोर त्रिपाठी बनाम यज्ञदत्त अवस्थी तथा अन्य), भा.द.सं. की धारा 498 ए, 323 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत (थाना-महिला थाना, जिला-गाजियाबाद), जो विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)/एफ.टी.सी.-प्रथम, गाजियाबाद के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, एतद्वारा **निरस्त** की जाती हैं।

10. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-प्रथम)

25 अगस्त, 2026

कशिफा